					Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2. - In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probations, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotions or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Director (Regional Office concerned) - Chairperson; 2. Deputy Director (Regional Office concerned) - Member; and 3. Deputy Director of Administration (Directorate General of Civil Aviation Hqrs.) - Member.	Not applicable

[F. No. A-12018/03/2016-R. Cell]

SUNIL KUMAR ADLAKHA, Dy. Director

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.368.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपरी यमुना नदी बोर्ड (अनुसचिवीय राजपत्रित) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, उपरी यमुना नदी बोर्ड में लेखा

अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, उपरी यमुना नदी बोर्ड, निजी सचिव (अनुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर .**— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखा अधिकारी	1*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-10 (56100 -1,77,500 रू)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी, (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) में स्तर-8 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो; (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) निम्नलिखित में से कोई भी एक अर्हताएं : (क) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा या समतुल्य परीक्षा - अर्हित हो; या (ख) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य या समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्षों का अनुभव हो । **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अनुभाग अधिकारी	1*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-7 (44,900 - 1,42,400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर-6 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) प्रशासन या स्थापना के कार्यों का तीन वर्षों का अनुभव हो। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. निजी सचिव	1*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-7 (44,900 - 1,42,400 रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के अधीन आशुलिपिक का पद धारण किये हुए ऐसे अधिकारी — (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर-6 या समतुल्य में आशुलिपिक ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है [illegible] अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा.सं.ए.12018/1/2015-स्था.-III (उ.य.न.बो.)(भाग-3)]

शालिनी जुनेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 12th November, 2018

G.S.R. 368.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Upper Yamuna River Board (Ministerial - Gazetted) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accounts Officer, Section Officer and Private Secretary in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Upper Yamuna River Board, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Upper Yamuna River Board (Ministerial - Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of said posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or Non – Selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Accounts Officer	1* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted Ministerial	Level-10 (Rs. 56100-177500/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of Recruitment by Promotion or Deputation or Absorption, grades from which promotion or deputation or absorption on transfer to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administration:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in level-8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing following qualifications and experience: (i) Bachelor's Degree from a recognized university or institute; and (ii) any one of the following qualifications; (A) Qualified the Subordinate Accounts Services or equivalent examination	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government; or (B) Successful completion of training in the Cash and Accounts Work in the Institute of Secretarial training, and Management or equivalent and three years experience in Cash, Accounts and Budget Work. Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date for receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Section Officer	1* (2018) *Subject to variation dependent [illegible]	General Central Service, Group 'B' Gazetted Ministerial	Level - 7 (Rs. 44900-142400/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administration :— (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level -6 (Rs. 35400 – 112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: — (i) Bachelor's degree from a recognized university or institute; (ii) Three years' experience in Administration or Establishment. Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date for receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Private Secretary	1*(2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial	Level - 7 (Rs. 44900-142400/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union territories Administration : — (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department: or (ii) with five years' regular service in the [illegible] 112400/-) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department. Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date for receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service commission is not necessary.

[F.No. A.12018/1/2015-E.III(UYRB)(part-3)]

SHALINI JUNEJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 369.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1987 और जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2008 को, जहां तक इनका सम्बन्ध हिन्दी अनुवादक श्रेणी-।। पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, में सहायक निदेशक (राजभाषा) (पूर्व में हिन्दी अधिकारी) और कनिष्ठ अनुवादक (पूर्व में हिन्दी अनुवादक श्रेणी-।।) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (राजभाषा संवर्ग पद) भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना .— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।